न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/18 **निर्णय दिनांकः—04.09.2018**

1. विष्णुदत्त पुत्र श्री बन्नाराम जाति बिश्नोई निवासी उड़सर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09—02—2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 09—02—2005 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 1984 में पेश किया था जो लम्बे अर्से बाद वर्ष 2005 में अपने रिकार्ड पर लेकर

बिना सूचना दिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोखा से प्राप्त फोटो फार्म में अंकित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री विष्णुदत्त पुत्र बनाराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर सद्भाविक कृषक नहीं है, अकृषि कार्य है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट सद्भाविक कृषक नहीं है, अकृषि कार्य है अपीलांट का आवंदन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—02—2005 के विरूद्व अपील दिनांक 06—12—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सद्भाविक कृषक नहीं होने व अकृषि कार्य होने के आधार पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट

किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—02—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06—12—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आधार पर आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र संबंधित तहसीलदार से फोटो फार्म प्राप्त किया गया। उक्त फोटो फार्म पर संबंधित तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अंकित करते हुए अभिलिखित किया गया कि अपीलांट सरकारी सेवा में है तथा नौकरी पोस्ट ऑफिस में है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होकि अपीलांट सरकारी सेवा नहीं रहते हुए अपीलांट का मुख्य कार्य सद्भाविक कृषक का रहा हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सद्भाविक कृषक नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन का आदेश दिनांक 09—02—2005 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर